



करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संसद का अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैत्री काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली में अनुमोदन प्रारम्भ किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तित संसद का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद द्वारा अनुमोदन होगा। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई किया जाता है तो उपरोक्त संसद के संबंध में मा. मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंतरिम निर्देश किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करने होगी।
- ✓ संसदीय को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मकांड एवं के लिए अधोनिर्देशित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पारमैत्री काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रदेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु संसद-समक्ष पर निर्मित सर्वोच्च अदालत नियमों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट तथा प्रारंभिक शिक्षा के पुनर्गठन पोर्टल पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक सूची भूमि, सार्वजनिक, सार्वजनिक, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला सुझाव, उपकरण सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संसद की विचार-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन/उपकरण उपलब्ध कराने के साथ निम्न टोकन के संबंध में समस्त आवश्यक अंतरिम सुझाव उपलब्ध कराये जाएंगे।
- ✓ संसद पर सुनिश्चित है कि संसद में प्रसारित/प्रकाशित प्रस्तावना को बनाने वाले हेतु निर्देशित समिति के समस्त उपलब्ध कराये एवं अधिनियम, भूमि-समक्ष, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य प्रस्तावना के संघर्ष में प्रदेश किया जाता है और परिषद को इसकी कार्यवाही होगी है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संसद को संसदगत सफल करने वाले की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा (समितिगत और उपनिर्देशित, संसदीय का संसद किया जाता) विनियमवली, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की सेवा पर अपने कर्मचारी, भर्ती और परीक्षा की परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिनियम में रखेगी।
- ✓ संसद के औपचारिक निर्देशन के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक उपकरण/संसाधन/परिषद/परिषद/परिषद के समस्त/उपलब्ध उपलब्ध नहीं प्राप्त होता है तो संसद की संसदगत सफल कर दी जाएगी।
- ✓ संसदगत कार्य का अनुमोदन में किये जाने अथवा कार्य का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमवली अनुसंधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(अनील कुमार मिश्र)

सचिव

पुंसा- प्राथमिक/परिषद संसद/संसाधन/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि -

प्रधानाचार्य/निदेशक, SIR MADANLAL INSTITUTE OF PHARMACY

(अनील कुमार मिश्र)

सचिव

## कार्यालय

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/10484

लखनऊ दिनांक: 24/11/2022

### कार्यालय जार:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय और इन्फो, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित संख्या 2022-23 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा समझौते को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 24/11/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति को बैठक सूचना हुई। बैठक में समिति द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अखिल भारतीय समझौते को सम्बद्धता पूर्व में संशोधित समझौते को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता दृष्टि सहित अन्य सहायक विवरण प्रदान करने हेतु संख्या 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति को बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संख्या 2022-23 हेतु विस्तारित सहायक के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 3324-SIR MADANLAL INSTITUTE OF PHARMACY

संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईटीआईटीआईओ पीसीआईओ द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख्या 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईटीआईटीआईओ पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली 2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निहित बाजार-दरों को अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुक्त तीन बर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु संख्या 30/150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु संख्या 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु संख्या 22500.00/- प्रतिवर्ष मुक्त ही प्रवेश प्राप्त/प्राप्त हो जाने के उपरान्त। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राप्त/प्राप्त होने से मुक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर बाजार द्वारा निर्णय किये जाने वाले बाजार-दरों पर ध्यान देना, और अनुसूचक कार्यालयी शिक्षा तथा अनुसूचक होना। तीन निर्धारण समिति द्वारा प्रति संख्या 2022-23 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो परीक्षा की नवीनता पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निहित बाजार-दरों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुक्त तथा करवाया होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश बाजार द्वारा निहित विनियमवली/अधिनियम/बाजार-दरों/निर्देशों एवं विदेशी, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विनियम, निर्देशों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का 20आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिज्ञाओं संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिज्ञाओं संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व 20आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्या-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेंटिंग रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संपादित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराए गये अभिलेख, भूमि-धन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक सहाय्य निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, धन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजा 20आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानानुसार अनुशासनसम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

*M. Anand*  
(एच0आर0 खान)  
सचिव

ए0सी0- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2022/10485-10493

दिनांक: 24/11/2022

ल0ड0ड0ड0

प्रधानाचार्य/निदेशक, SIR MADANLAL INSTITUTE OF PHARMACY

*M. Anand*  
(एच0आर0 खान)  
सचिव

*M. Anand*  
SIR MADANLAL INSTITUTE OF PHARMACY





